37/10 बाबूलाल बनाम सरकार
दावा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2-2-2021 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं लैण्ड होल्डर उप०। पुनः बहस हेतु पत्रावली दि० 18-2-2021 को पेश हो।	
18-2-2021 वकील वादी एवं लैण्ड होल्डर उप०। पुनः बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 3-3-2021 को पेश हो।	
3-3-2021 वकील वादी एवं लैण्ड होल्डर उप०। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

जिला कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

1.4.2010 03.03.2021

कल्यान प्रसाद,भागवती ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी ––वादी

बनाम

लैन्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ––प्रतिवादी

घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, वादी की ओर से

लैन्ड होल्डर, तहसीलदार गंगापुर सिटी

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एवं उनके भागवती ब्राह्मण हैं, जिनका कार्य भागवत ग्रंथ का प्रवचन का रहा है। कथा के वाचन से प्रसन्न होकर जयपुर स्टेट के समय माह सुदी 1 1871 मे चन्द्र दीवानजी द्वारा वादी के पूर्वज मुरलीधर हरगोविन्द गूजर गौड को उक्त भूमि निमत पून्यार्थ उद्दक मौजा मिर्जापुर में 25 उद्धक स्वरूप दी गई थी। जिसका मंदिर माफी से कोई सम्बन्ध नहीं है। मुरलीधर एवं हरगोविन्द के वारिसों की वंश वृक्षावली के अनुसार मोहन के दो पुत्र मुरलीधर एवं हरगोविन्द थे। जिनमें से हरगोविन्द लाऔलाद फौत हो गये। मुरली धर के तीन पुत्र राधावल्लभ, मुकन्दजी, नन्दकवार थे। जिनमे से राधावल्लभ जी लाऔलाद फौत हो गये। मुकन्दजी के एक पुत्र ऊकार तथा ऊकार के एक पुत्र कल्याण और कल्याण के पुत्र बाबूलाल है तथा इसी प्रकार नंदकवार के पुत्र मांगीलाल और मांगीलाल के पुत्र अर्जुनलाल हुए है। मिसल हकीयत संवत 1984 मे उक्त भूमि के नये नम्बर 127, 129, 130, 610, 612 कायम किये गये तथा मिसल हकीयत में कालम संख्या 16 में आदेश आला सेटिलमेन्ट ऑफिसर दिनांक 20.9.1928 के उक्त भूमि के माफीदार कल्याण वल्द ऊंकार के नाम दर्ज करने के आदेश किये गये क्योकि उक्त भूमि उद्धक माफी थी जो वादी के पूर्वजो को जयपुर स्टेट के दीवान श्री चन्द्रदेव द्वारा उद्धक माफी के रूप में दी गई थी। फेरिस्त माफीयात में भी भूमि नम्बर 127, 129, 130, 610, 612, 611, 613 कुल रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा को मंदिर माफी की भूमि न मानकर माफीदार के नाम दर्ज करने के आदेश का नोट रजिस्टर फेरिस्त माफीयात के कालन नम्बर 10 में अंकन है तथा मिसल नम्बर 50 तहसील गंगापुर व आदेश सेटलमेन्ट आफीसर दिनांक 20.9.28 तथा माफीदार के नाम उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सिटी (स०मा०)
उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)
सत्यमेव जयते

सम्वत् 2003 में उक्त भूमि का इन्द्राज माफी मंदिर श्री भागीरथ जी के नाम दर्ज कर दिया जबकि ग्राम मिर्जापुर एवं कस्बा गंगापुर सिटी में मंदिर श्री भागीरथ के नाम से कोई मंदिर ना तो पहले था ना आज है। मंदिर श्री भागीरथ जी का इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण संवत 2003 में गलत रूप से दर्ज किया गया है जबकि उक्त भूमि का मंदिर श्री भागीरथ जी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त भूमि उद्धक माफी है जो व्यक्तिगत माफी मानी जाती है तथा इस प्रकार की भूमि ईनाम स्वरूप दी जाती है तथा इस प्रकार की भूमि ईनाम स्वरूप दी गई भूमि मानी जाती है। जिसको राज0 टीनेन्सी एक्ट की सैकण्ड शिडूल्य में टीनेन्सी आफ जागीर लैण्ड में उद्धक भूमि को व्यक्तिगत माना गया है तथा व्यक्तिगत भूमि का मंदिर माफी से कोई सम्बन्ध नही है। ग्राम मिर्जापुर एवं कस्बा गंगापुर सिटी में मंदिर श्री भागीरथ के नाम से कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई मार्कीयात है और ना ही कोई पुजारी है इसलिए प्रतिवादी के रूप में लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी को पक्षकार बनाया गया है क्योंकि राजस्व कर्मचारियों की गलती से मंदिर के नाम गलत इन्द्राज किया गया है इसलिए प्रतिवादी पक्षकार है। सम्बत् 2003 में उक्त भूमि के ख0न0 127, 808, 809, 810, 812 कायम किये गये हैं तथा एकीकरण में उक्त भूमि के ख0न0 432 रकबा 3 बिस्वा, ख0न0 433 रकबा 1 बिस्वा, ख0नं0 434 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा ग्राम मिर्जापुर में है। जिसके वर्तमान में नये नम्बर ख0नं0 1048 रकबा 3 एयर, ख0नं0 1049 रकबा 39 एयर, ख0नं0 1050 रकबा 48 एयर, ख0नं0 1051 रकबा 92 एयर, ख0नं0 1050/1119 रकबा 6 एयर कायम किये गये हैं जिन पर वादी बदस्तूर काबिज चला आ रहा है। सेटिलमेन्ट विभाग वालों ने दौराने सेटलमेन्ट गलत रूप से बिना किसी अधिकार के वादी की खातेदारी की भूमि को मंदिर श्री भागीरथ के नाम दर्ज कर दिया है जबकि गंगापुर सिटी व मिर्जापुर में इस नाम से कोई मंदिर नहीं है। वास्तविकता यह है कि वादी के पूर्व भागवती ब्राह्मणथे जिनका कार्य भागवत कथा वाचन का रहा है तथा वादी के पूर्वजों के भागवता कथा एवं प्रसंग से प्रसन्न होकर जयपुर स्टेट के समय उक्त भूमि दान स्वरूप दी गई थी तथा इस प्रकार की भूमि उद्दक माफी यानि व्यक्तिगत माफी मानी जाती है जिससे मंदिर का एवं देवस्थान विभाग का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। मिसल हकीयत सम्बत् 1984 में मिसल नम्बर 58 के द्वारा भी सेटलमेन्ट आफिसर द्वारा सितम्बर 1928 में उक्त भूमि को व्यक्तिगत माफी मानते हुए वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं ... गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

आदेश के मुताबिक भूमि वादी के पिता की व्यक्तिगत खातेदारी में दर्ज की गई लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण वादी की व्यक्तिगत खातेदारी की भूमि को मंदिर श्री भागीरथ के नाम दर्ज कर दिया जबकि भागीरथ के नाम से कस्वा गंगापुर सिटी एवं ग्राम मिर्जापुर में कोई मंदिर नहीं है। सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों की गलती के कारण भागीरथ दर्ज किया है इसलिए दावे में केवल लैण्ड होल्डर को पक्षकार बनाया गया है। सेटिलमेन्ट विभाग वालो ने गलत रूप से बिना किसी अधिकार के वादी की खातेदारी भूमि को मंदिर श्री भागीरथ के नाम दर्ज कर दिया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था, इस कारण से यह आदेश निरस्त होने योग्य है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम मिर्जापुर में स्थित भूमि हाल ख0न0 1048, 1049, 1050, 1051, 1050/1119 को मंदिर श्री भागीरथ के नाम से निरस्त कर वादी के नाम दर्ज की जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादी की गई।

प्रतिवादी तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि मिसल हकीयत संवत 1984 में भूमि माफी श्री भागीरथ वअहतमाम पुजारी किलयान वल्द ऊंकार कौम ब्राह्मण सा. गंगापुर दर्ज है। जिसमें भूमि मंदिर माफी की होना स्पष्ट है एवं किलयान को पुजारी दर्ज किया गया है। वादी द्वारा दावे में खतौनी में अंकित आदेशो की कोई प्रति भी प्रस्तुत नही की है। वादी द्वारा दावा गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। खतौनी बंदोवस्त संवत 2003 में उक्त भूमि माफी मंदिर श्री भागीरथ जी वहतमाम पुजारी छाजूलाल वल्द महगी कौम ब्राह्मण साकिन गंगापुर सिटी के नाम दर्ज है जो भूमि को मंदिर की होना दर्शा रहा है। वादी द्वारा भूमि को उद्धक भूमि होना अंकित किया है परन्तु इस सम्बन्ध में वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है। वादी का यह कथन है कि गंगापुर में मंदिर भागीरथ के नाम से कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई पुजारी है जबकि मिसल हकीयत संवत् 1984 में वअहतमाम पुजारी किलयान बल्द उंकार कौम ब्राहमण सा. गंगापुर दर्ज है। मंदिर गंगापुर से बाहर भी स्थित हो सकता है जिसकी उक्त भूमि माफी में हो। वादी यह कथन गलत है कि मिसल हकीयत संवत् 1984 में उक्त भूमि को व्यक्तिगत मानते हुए वादी के पिता के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये। भूमि खतौनी संवत 2003 में भी माफी मंदिर श्री भागीरथ के नाम दर्ज है। भूमि मंदिर माफी की होने के कारण सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मंदिर माफी दर्ज की गई है। वादी ने दावा गलत तथ्यों पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सिटी (स०मा०)

को नोटिस भी नहीं दिया गया है अतः वाद इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

वादपत्र एवं जबाब के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः–

1. आया मिसल हकीयत संवत् 1984 में भूमि ख0न0 127, 129, 130, 610, 612 उद्धक माफी भूमि है। दिनांक 20.9.1928 को सेटिलमेन्टर आफिसर द्वारा माफीदार कल्याण वल्द उंकार के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये जिसका इन्द्राज रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया।

2. आया फहरिस्त माफीयात में भी भूमि ख0न0 127, 129, 130, 610, 612, 613 कुल रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा को मंदिर माफी की भूमि में मानकर माफीदार के नाम दर्ज करने के आदेश दिये है। जिसका नोट फेहरिस्त माफीयात के कॉलम नम्बर 10 में अंकित है।

3. आया रेवेन्यु कर्मचारियों की गलती से संवत् 2003 में उक्त भूमि का इन्द्राज माफी मंदिर भागीरथ के नाम दर्ज कर दिया जबकि ग्राम मिर्जापुर व कस्बा गंगापुर सिटी में मंदिर भागीरथ के नाम से कोई मंदिर नही है।

4. आया वादी के पूर्वज भागवत कथावाचक होने के कारण उक्त भूमि उन्हें इनाम स्वरूप दी गई उद्धक भूमि है।

5. आया संवत 2003 में उक्त भूमि के ख0न0 127, 808, 809, 810, 812 कायम किये है तथा एकीकरण में उक्त भूमि के नम्बर 432, 423, 434 कायम किये है तथा वर्तमान में नये नम्बर 1048 रकबा 0.03 हेक्टर, 1049 रकबा 0.39 हेक्टर, 1050 रकबा 0.48 हेक्टर, 1051 रकबा 0.92 हेक्टर, 1050/1119 रकबा 0.06 हेक्टर कामय किये है।

6. आया वादी उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

7. आया उद्धक भूमि के सम्बन्ध में वादी ने कोई साक्ष्य पेश नही की है।

8. आया अन्य दादरसी।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमांबदी सवंत 2065–2068 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध प्रदर्श–2, नकल खतौनी बन्दोवस्त सं0 2003 से 2022 प्रदर्श–3, नकल [illegible] ग्राम मिर्जापुर प्रदर्श–4, नकल खतौनी जमाबंदी सं0 2039 प्रदर्श–5, नकल खतौनी जमाबंदी सं0 2039 प्रदर्श–6, नकल मिसल हकीयत बन्दोबस्त सम्बत 1984 मौजा मिर्जापुर प्रदर्श–7, नकल फेहरिस्त माफीयात ग्राम मिर्जापुर प्रदर्श–8, असल पट्टा सम्वत् 1871 प्रदर्श–9, असल पट्टा ग्राम दौलतपुर प्रदर्श–10, असल पट्टा ग्राम ग्राम उदेई कलॉ प्रदर्श–11, नकल फैसला उत्तराधिकार निजामत गंगापुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
उपखण्ड/जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

प्रदर्श 12A] नक्शा प्रदर्श 13, नकल निर्णय महकमा आलिया माल, कलेक्ट्री राजसवाई जयपुर दिनांक 15 सितम्बर 1920 प्रदर्श–14 जिसकी हिन्दी अनुवाद प्रति प्रदर्श–14**A**, नकल निर्णय निजामत गंगापुर सिटी दिनांक 25 अगस्त 1935 प्रदर्श–15, जिसकी हिन्दी अमुवाद प्रति प्रदर्श–15A है, नकल निर्णय 24 जनवरी 1941 प्रदर्श–16, जिसकी हिन्दी अनुवाद प्रति प्रदर्श–16 **A** है, नकल मिलान क्षेत्रफल एकीकरण प्रदर्श–17, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 15 प्रदर्श–18, नकल खतौनी एकीकरण प्रदर्श–19, नकल खतौनी एकीकरण प्रदर्श–20, नकल खतौनी एकीकरण प्रदर्श–21, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 31 प्रदर्श–22, नकल जमावन्दी सम्वत् 2028 से 31 प्रदर्श–23, नकल खसरा टीप प्रदर्श–24, नकल खसरा टीप प्रदर्श–25, नकल खसरा टीप प्रदर्श–26, नकल लगान रसीद प्रदर्श–27 लगायत 30, बिजली का बिल प्रदर्श–31 व 32 पेश किये है तथा बयान वादी बाबूलाल, बयान गवाह सतीश चन्द जैन, बयान गवाह जगदीश प्रसाद शर्मा कराए हैं।

बहस विद्धान वकील वादी एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार सुनी गई।

वादी के विद्धान वकील ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की।

अपनी लिखित बहस में वकील वादी ने अंकित किया है कि वादी एवं उसके पूर्वज भागवती ब्राह्मण हैं। भागवत कथा के वाचन से प्रसन्न होकर जयपुर स्टेट के समय माह सुदी 1 सं0 1871 में चन्द्र दीवानजी ने वादी के पूर्वज मुरलीधर हरगोविन्द को निमित पून्यार्थ उदक मौजा मिर्जापुर में 25 बीघा भूमि उदक स्वरूप दी गई। वादी के पूर्वज राधामोहन थे। राधामोहन के दो पुत्र मुरलीधर व हरगोविन्द हुए। हरगोविन्द अविवाहित व लाऔलाद फौत हुए। मुरलीधर के तीन पुत्र राधाबल्लभ, मुकन्दजी, नन्दकंवार हुए। राधाबल्लभ लाऔलाद फौत हुए। नन्दकंवर के एक पुत्र मांगीलाल हुए। मुकन्दजी के पुत्र ऊंकार, ऊंकार के पुत्र कल्याण व कल्याण के पुत्र बाबूलाल हुए । राधाबल्लभ जी के कोई संतान नहीं हुई इसलिए उन्होने अपने छोटे भाई मुकन्दजी के पोते कल्याण को बचपन में ही [illegible] । नन्दकंवार जी के एक मात्र पुत्र मांगीलाल हुए। इस तरह वादी के [illegible] उपरोक्त पूर्वजों की जायदाद के दो हिस्से के मालिक हो गए। [illegible] हकीकत सं0 1984 में वादग्रस्त भूमि के नम्बर 127, 129, 130, 810, 812 कायम किए गए तथा मिसल हकीकत के कालम 16 में आदेश आला सेटलमेन्ट आफिसर दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज करने के आदेश जारी किए गए क्योंकि यह भूमि उदक माफी की थी जो वादी के पूर्वजों को जयपुर स्टेट के दीवान श्री चन्द्र दीवान जी द्वारा उदक माफी के रूप में दी गई। इसी तरह फेहरिस्त माफीयात में भी उदक माफी ख0नं0 127, 129, 130, 610, 612, 613 कुल रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा को मंदिर माफी की भूमि न मानकर माफीदार के नाम दर्ज करने के आदेश का नोट रजिस्टर फेरिस्त माफियात के कालम नम्बर 10 में अंकित है तथा मिसल नम्बर 50 तहसील गंगापुर व आदेश सेटिलमेंट आफिसर दिनांक [illegible] अनुसार उक्त भूमि को अमल दरामद करने का आदेश का नोट अंकित है किन्तु राजस्व कर्मचारियो ने गलती से संवत 2003 मे उक्त भूमि का इन्द्राज माफी मंदिर श्री भागीरथ जी के नाम दर्ज कर दिया है। इस नाम का कोई मंदिर ना पहले था ना अब है। यह भूमि वादी की उदक माफी की भूमि है। जिसको आर.टी.एक्ट के द्वितीय शिड्यूल टीनेन्सी ऑफ जागीर लैण्ड में व्यक्तिगत माना गया है। संवत 2003 में उक्त भूमि के नम्बर 127, 808, [illegible], 810, 812 कायम किये गये है। एकीकरण मे इनके नम्बर 432, 433, 434 तथा वर्तमान भूप्रबन्ध मे ख0न0 1048, 1049, 1050, 1051, 1050/1119 कायम किये गये है। जिन पर वादी का कब्जा लगातार चला आ रहा है। वादी ने अपने वादपत्र को साबित करने के लिए स्वयं के तथा दो गवाहो के बयान कराये है। जिनमें 21 दस्तोवजता प्रदर्श कराये है। वादग्रस्त भूमि वादी के बुजुर्गो को तत्कालीन जयपुर रिसायत में वादी के बुजुर्गो के भागवत कथा वाचन से प्रसन्न होकर जयपुर स्टेट के तत्कालीन दीवान श्री चन्द्रदीवानजी द्वारा उदक भूमि के रूप मे दी गई । जिसका पट्टा प्रदर्श 9 है। इसी तरह ग्राम दौलतपुर व ग्राम उदेईकलॉ मे भी वादी के पूर्वजो को भूमि उदक स्वरूप (इनाम स्वरूप) दी गई। जिनका पट्टा प्रदर्श 10 व प्रदर्श 11 है। अनादि काल से भागवत, रामायण व अन्य कथा वाचको, ऋषि मुनियो, संतो आदि को कथावाचन के समय भक्तो द्वारा या त्रोताओ द्वारा चढावे के रूप मे जो चल एवं अचल सम्पत्ति, रूपये पैसे, वस्त्र, भूमि आदि दी जाती है वह सब कथा वाचक की व्यक्तिगत होती है। इसी [illegible] अब से लगभग 204 वर्ष पहले वादी के बुजुर्गो के ह[illegible] बाबत पट्टा प्रदर्श 9, प्रदर्श 10, प्रदर्श 11 जारी हुए है [illegible] व्यक्तिगत रूप से वादी के बुजुर्गो के नाम दर्ज की गई परन्तु बाद मे इसे गलत रूप से मंदिर भागीरथ जी के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि ग्राम गंगापुर, ग्राम मिर्जापुर, ग्राम उदेईकलॉ, ग्राम दौलतपुर एवं आस पास के क्षेत्रो में भागीरथ जी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 18:08:57 IST
Reason: SelfAttested

का व्यक्तिगत खाते की रही है जो उन्हे उदक स्वरूप (इनाम स्वरूप) प्राप्त हुई थी। अब से करीब 100 वर्ष पहले वादी के पिता कल्याण की ओर से उनकी नाबालिग अवस्था मे एवं कल्याण के दत्तक पिता राधावल्लभ की मृत्यु के उपरांत उनकी ओर से जरिए संरक्षक चाचा मांगीलाल बल्द नन्दकिशोर ब्राहमण ने वादी के पिता कल्याण के हक मे राधावल्लभजी की विरासत का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु तत्कालीन अदालत निजामत गंगापुर सिटी एक प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमे वादी के पिता कल्याण को राधावल्लभजी का दत्तक पुत्र (गोदपुत्र) मानते हुए वादग्रस्त आराजी 25 बीघा ग्राम गंगापुर, 50 बीघा आराजी ग्राम दौलतपुरा व 25 बीघा आराजी ग्राम उदेईकलॉ वादी के पूर्वजो के उदक स्वरूप मानते हुए स्व0 राधावल्लभजी की विरासत का प्रमाण पत्र वादी के पिता कल्याण के हक मे दिनांक 21.10.1917 को जारी करने का निर्णय दिया। जिसके अनुसार दिनांक 4.11.1917 को श्री राधावल्लभजी की विरासत का प्रमाण पत्र वादी के पिता कल्याण का बाकायदा सुपुर्द किया गया। फैसले की उर्दू प्रति प्रदर्श 12 एवं इसके हिन्दी रूपान्तरण के प्रमाणित प्रति प्रदर्श 12ए है। निजामत गंगापुर सिटी के 100 साल पुराने इस फैसले से यह बखूबी साबित है कि वादग्रस्त आराजीयात वादी के पूर्वजो को उदक स्वरूप प्राप्त हुई, निजी मिल्कीयत की भूमि है। यह भूमि माफी मंदिर की होने का प्रश्न ही नही उठता है। इसलिए इसे राजस्व रिकार्ड मे वादी की खातेदारी मे दर्ज किया जाना विधी सम्मत एवं न्यायोचित है। निजामत के फैसले व विरासत का प्रमाणपत्र वादी के पिता कल्याण के नाम जारी करने के करीब 10 माह बाद दिनांक 10.9.1918 को तत्कालीन मोहतामिम आलिया कौन्सिल राज0 सवाई जयपुर इजलास कलेक्टरी मे एक प्रार्थना पत्र वादी के पिता कल्याण ने इस तरह का प्रस्तुत किया कि संवत 1930 मे उसके पिता राधावल्लभ के नाम मौजा मिर्जापुर, दौलतपुरा व उदेईकलॉ मे आराजीयात की मातमी (उदक) हो चुकी है और इसके सबूत मे तीन किता सबूत कागजात दीवान मौरिस द्वारा मौजा मिर्जापुर के 25 बीघा जमीन माफिक संवत पट्टा 1871 कस्बा 25 बीघा जमीन माफी पट्टा श्री दीवान मौरिस संवत 1872 और मौजा [illegible] के 50 बीघा जमीन माफिक पट्टा श्री दीवान मौरिस संवत 1873 पेश किए। जिनके अवलोकन के बाद अदालत औलियॉ कौन्सिल ने भी यह माना कि उक्त आराजीयात वादी के पूर्वजो हरगोविन्द मुरलीधर के उदक भुगतता है व संवत 1930 मे मुरलीधर की फौती पर राधावल्लभ से इन आराजीयात की मातमी ली गई एवं उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

मया और नक्शा फैसला मातमी मे भी उक्त आराजीयात का उदक
दर्ज होना पाया गया। इसी लिहाज से उक्त अदालत आलिया कौन्सिल ने
फैसला मे उक्त आराजीयात को उदक फैसला मातमी की मंजूरी दिया
मुनासिब मानते हुए वादी के पिता कल्याण के हक मे उक्त
आराजीयात का उदक स्वरूप मानते हुए इन्द्राज करने के आदेश दिनांक 29.
1920 को दिये। जिसकी पालनार्थ आदेश दिनांक 19.9.1920 को पारित
किये गये। उक्त ऑलिया कौन्सिल सवाई जयपुर की उर्दू मे लिखित प्रति
प्रदर्श 14 है जिसका हिन्दी रूपान्तरण प्रदर्श 14 ए है। भूमि पर पूर्व की तरह
वादी के पिता कल्याण वहैसियत खातेदार काबिज काश्त रहे एवं उनकी
मृत्यु के उपरांत वादी वहैसियत खातेदार काबिज काश्तकार चला आ रहा है।
उक्त निर्णय के करीब 19 साल बाद शंकरलाल बल्द कल्लू खत्री नाम के
व्यक्ति ने एक प्रार्थना पत्र तत्कालीन निजामत गंगापुर सिटी मे जुलाई 1939
मे इस आशय का प्रस्तुत किया कि कल्याण बल्द ऊकार निवासी गंगापुर
सिटी (वादी के पिता) बाबत भुगतना भागवत जी मंदिर श्री सीतारामजी मे न
करने और जमीन माफी से फायदा उठाने पर उज्र पेश किये। जिस पर वादी
के पिता कल्याण ने अदालत आलिया द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.9.1920
प्रदर्श 14 की प्रति पेश की । जिसके अवलोकन उपरान्त अदालत निजामत
गंगापुर ने उक्त आराजीयात को माफी मंदिर भागीरथ की दर्ज होना नही
माना और उक्त आराजीयात को उदक व मातमी हुई मानते हुए शंकर लाल
की उक्त प्रार्थना पत्र को 25.8.1939 को खारिज कर दिया। उक्त फैसले की
उर्दू मे लिखित प्रति प्रदर्श 15 व इसका हिन्दी रूपान्तकरण की प्रति प्रदर्श
15 ए है। इसी तरह की एक शिकायत जनवरी 1940 मे किशोरमल व शंकर
ब्राह्मण वालिद साली ग्राम गंगापुर ने बाबत कल्याण ब्राह्मण माफी मिलने,
गीता पढने व बजूद बाबत तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ पेश की।
जिसकी जबाबदेही मे वादी के पिता कल्याण की ओर ये यह जबाब दिया
गया कि यह आराजीयात गीता वाचने की खिदमत के सिलसिले मे श्रीमद
भागवत पढने की सीगें मे यह जमीन उनके पूर्वजो को उदक स्वरूप मिली
थी। इसलिए इस मामले को एक मुकदमा 1939 को इसी न्यायालय द्वारा
खारिज हो चुका है। अदालत तहसीलदार गंगापुर सिटी ने इसके अवलोकन
के पश्चात दरख्वास्त देहन्दा किशोरमल ब्राह्मण के उक्त प्रार्थना
पत्र को आगे कोई कार्यवाही करना मुनासिब न मानते हुए दिनांक 24.1.1939
को खारिज करने का फैसला दिया। जिसके फैसले की उर्दू प्रति प्रदर्श 16

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजात प्रदर्श 9, 10, 11, 12, 12ए, 14, 14ए, 15, 15ए, 16, 16 ए क्रमश 204 साल, 100 साल, 97 साल, 78 साल एवं 76 साल पुराने है। अर्थात 30 साल से अधिक पुराने है जो विश्वसनीय, जैनूईन, महत्वपूर्ण दस्तावेज है एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार अपने आप मे साबित दस्तावेज है। इन दस्तावेजो के सम्बन्ध मे प्रतिवादी की ओर से वादी से कोई जिरह लेशमात्र भी नही की गई है। ना ही प्रतिवादी ने स्वयं के अलावा किसी भी गवाह को परीक्षित करवाया है।

तनकी नम्बर 1 के सम्बन्ध मे वादी का तर्क है कि मिसल हकीयत संवत 1984 मे उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 127, 129, 130, 610, [illegible] कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा कायम किये गये है तथा इसके कॉलम संख्या 16 मे यह नोट लगा हुआ है कि " आदेश आला सेटिलमेन्ट आफिसर दिनांक 20.9.1928 के द्वारा उक्त भूमि माफीदार कल्याण बल्द ठकार के नाम दर्ज किया जाकर अमल दरामद किया जावे।" चूकि यह भूमि वादी के पूर्वजो को तत्कालीन जयपुर स्टेट के दीवानजी द्वारा उदक स्वरूप (माफी स्वरूप) दी गई थी इसलिए मिसल हकीयत मे सही प्रकार से यह नोट अंकित किया हुआ है जो नकल मिसल हकीयत प्रदर्श 7 से साबित है।

तनकी नम्बर 2 व 3 के सम्बन्ध मे वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फैहरिस्त माफियात प्रदर्श 8 मे भी उपरोक्त आदेश के क्रम में भूमि ख0न0 127, 129, 130, 610, 611, 612, 613 को कुल रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा को मंदिर माफी की भूमि न मानकर उदकदार (माफीदार) के नाम दर्ज करने का आदेश का नोट फैहरिस्त माफियात प्रदर्श 8 के कॉलम न0 10 मे अंकन है। इसी कॉलम मे मिसल नम्बर 50 तहसील गंगापुर सिटी हुकम सेटिलमेंट ऑफिसर दिनांक 20.9.1928 अनुसार बदस्तूदर माफीदार के नाम अमल दरामद करने का नोट दिनांक 2.10.1929 अंकित है किन्तु राजस्व कर्मचारियो ने संवत 2003 मे खतौन बन्दोवस्त प्रदर्श 3 के अनुसार गलती से यह भूमि माफी मंदिर श्री भागीरथजी एहतमाम पुजारी छाजूलाल बल्द मंहगी कौम ब्राह्मण के नाम दर्ज कर [illegible] माफीदार (उदकदार) वादी के पिता कल्यान के नाम दर्ज होनी चाहिये थी। ग्राम मिर्जापुर व गंगापुर सिटी मे मंदिर श्री भागीरथ जी के नाम से कोई मंदिर अनादि काल से लेकर आज तक न था और न ही आज है। इस प्रकार इस भूमि से मंदिर का वास्त ना पहले था ना अब है। वास्तवमे यह भूमि वादी के पूर्वजो को भागवत कथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] भूमि मानी जाती है। उदक भूमि को आर.टी.एक्ट की [illegible] टैनेन्ट आफ जागीर लैण्ड मे भी व्यक्तिगत भूमि माना गया [illegible] भूमि का मंदिर का कोई वास्ता नही है। हालांकि जमाबंदी खेवट खतौनी सं0 2012 से 2015 प्रदर्श–18 में छाजूलाल नाम की [illegible] गलती को दुरूस्त कर वादी के पिता कल्याण वल्द ऊंकार कौम [illegible] का नाम दर्ज कर सही कर दिया गया जिसमें भूमि ख0नं0 127, [illegible] 809, 810, 812 कुल रकबा 11 बीघा दर्ज है एवं गत ख0नं0 127, 129, [illegible] 610, 612, 613 से बने नवीन नम्बर 127, 129, 130, 808, 809, 810, 812 का फर्द मिलान इन्डेक्स नम्बर प्रदर्श–4 है।

[illegible] संख्या 5 के सम्बन्ध में वादी का तर्क है कि एकीकरण में उक्त भूमि ख0नं0 432 रकबा 3 विस्वा, 433 रकबा 1 विस्वा, 434 रकबा 8 बीघा 1 विस्वा कुल रकबा 8 बीघा 5 विस्वा ग्राम मिर्जापुर कायम किए गए जिसकी जमाबंदी एकीकरण प्रदर्श–19, प्रदर्श–20 एवं मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–17 है। इस तरह पूर्व के इन्द्राजात की गलती को रिपीट करते हुए एकीकरण में भी [illegible] भूमि का इन्द्राज माफी मंदिर श्री भागीरथ जी के नाम कर दिया जबकि इन्द्राज वादी के पिता कल्याण के नाम होने चाहिए थे। हालांकि सं0 2003 प्रदर्श–3 में गलती से जोडे गए ख0नं0 127 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा को हटाकर उक्त गलती को दुरूस्त कर प्रदर्श–19 एकीकरण के समय सही कर दिया गया। इसके बाद मुताबिक जमाबंदी खेवट खतौनी सं0 2024 से 2027 प्रदर्श–21 में उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण कर उक्त भूमि ख0नं0 432, 433, 434 की खातेदारी इन्द्राज वादी के पिता कल्याण पुत्र ऊंकार के नाम सही प्रकार से किया गया एवं वादी के पिता कल्याण की मृत्यु के बाद वादी के नाम [illegible] का इन्द्राज उक्त भूमि बाबत् किया गया जो सं0 2028 –2031 जमाबंदी प्रदर्श–22 से स्पष्ट होता है अर्थात् जमाबंदी प्रदर्श–22 में वादी [illegible] पुत्र कल्याण के हक में भूमि ख0नं0 432, 433, 434 कुल रकबा 8 बीघा 5 विस्वा की खातेदारी दर्ज की गई जिसके वर्तमान ख0नं0 1048, [illegible] 1050, 1051, 1050/1119 कुल रकबा 1.88 है0 कायम किए गए। इन [illegible] की भूमि पर वादी का कब्जा काश्त [illegible] खातेदार चला आ रहा है एवं वादी उसकी फसल [illegible] आ रहा है। सं0 [illegible] 2031 तक मुताबिक [illegible] 22 उक्त भूमि की खातेदारी वादी के पिता एवं उनकी मृत्यु के बाद वादी के नाम बदस्तूर रहे [illegible] के बाद उक्त भूमि की खातेदारी वादी के नाम से गलत रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

की खतौनी जमाबंदी सं0 2039 प्रदर्श–5 व प्रदर्श–6 से स्पष्ट है एवं ये इन्द्राज आज तक रिपीट होते आ रहे हैं। वादी अपने पूर्वजों के समय से वादी के पूर्वज राधाबल्लभ मिसर के हक में जारी भेज की रसीद सं0 से लाभान्वित होता चला आ रहा है एवं उनके बाद लगान की राशि जमा करता आ रहा है। इस सम्बन्ध में वादी ने पूर्वज राधाबल्लभ मिसर के हक में जारी भेज की रसीद सं0 1972 प्रदर्श–24, वादी के पिता के हक में लगान जमा कराने की जारी गिरदावरी स्लिप प्रदर्श–25 सं0 2017 की गिरदावरी स्लिप प्रदर्श–26, दिनांक 7.6.1966 की लगान रसीद प्रदर्श–27, दिनांक 2.12.66 की लगान रसीद प्रदर्श–29 पेश की हैं इसी प्रकार वादी द्वारा वादग्रस्त आराजियात का जमा कराए गए लगान की रसीद बहक वादी दिनांक 3.1.1971 प्रदर्श–28, दिनांक 5.3.83 प्रदर्श–30 है। इसके बाद हुए भू–प्रबन्ध में भू–प्रबन्ध कर्मचारियों ने गलत रूप से वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी इन्द्राज में वादी का नाम हजफ कर मंदिर श्री भागीरथ जी के नाम से खातेदारी दर्ज कर दी जबकि भूमि पूर्व अनुसार वादी के नाम दर्ज होनी चखहिए थी। वादी ने अब से करीब साल पहले दिनांक 3.11.1978 को अपनी खातेदारी अनुसार वादग्रस्त भूमि में स्थित चाह से उक्त आराजी में सिंचाई हेतु विद्युत का कृषि कनेक्शन भी लिया जिसका वादी कुए में विद्युत मोटर लगाकर सिंचाई करता चला आ रहा है इसके लिए वादी ने कृषि कनेक्शन जारी होने बाबत् प्रमाण पत्र दिनांक .1994, बिजली के बिल दिनांक 21.12.1994 व विद्युत बिल दिनांक 7.2. 2012 प्रस्तुत किए हैं।

वादी के विद्धान वकील ने अपनी बहस में आगे अंकित किया है कि यह स्पष्ट प्रावधान है कि सं0 2012 में मंदिर की भूमि पर यदि किसी व्यक्ति का नाम बतौर खातेदार पट्टेदार या खदिमदार के रूप मेंदर्ज हो तो वह जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल अजमेर का सर्कुलर दिनांक 6 जनवरी 2010 स्पष्ट है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 2015 पेज 91 में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की शिडूल्य फस्ट के कालम नम्बर 32 में उदक माफी अंकित की गई तथा वादी की उक्त भूमि भी उदक माफी तथा उदक माफी में खातेदारी अधिकार उदक गृहिता को प्राप्त होते हैं क्योंकि उक्त भूमि भेंट स्वरूप वादी के पूर्वजों को दी गई थी इसलिए उक्त भूमि वादी की व्यक्तिगत खातेदारी की भूमि है। फर्स्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सिटी (स०मा०)

इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार का दिनांक 24.5.2007 का सर्कुलर भी स्पष्ट है कि जागीरों के अधिगृहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदारी पट्टेदारी अथवा खादिमदार आदि के नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिरो के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत नहीं होना माना है। आर0आर0टी0 2011(2) पेज 809 में भी यही मत प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 2015 पेज 91 में मत प्रतिपादित किया है कि सं0 2010 में प्रार्थी भूमि के खुद काश्त दर्ज था ऐसी स्थिति में भूमि को मंदिर के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार आर0आर0डी0 2015 पेज 370 में भी यही मत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रतिपादित किया तथा जयपुर स्टेट के समय जितने भी निर्णय इस भूमि के सम्बन्ध में हुए हैं उन सभी में उक्त भूमि को वादी के पूर्वजों को भेंट स्वरूप व्यक्तिगत रूप से दी गई उदक भूमि माना है। मंदिर की भूमि नहीं माना है। इस प्रकार वादी उक्त भूमि का खातेदार टीनेन्ट है। अतः वादी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं भूमि मंदिर की खातेदारी से हजफ की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किए जावें।

लैण्ड होल्डर ने अपने जबाब के अनुसार बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में भी एवं वर्तमान में भी मंदिर की खातेदारी में दर्ज रही है। वादी ने दावा दायरी से पूर्व धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस भी नहीं दिया है। मंदिर की भूमि किसी की व्यक्तिगत खातेदारी में दर्ज नहीं की जा सकती है। इसलिए वादी का दावा खारिज किया जावे।

वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार गंगापुर सिटी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि भूमि ख0नं0 1048 रकबा 0.03 गै0मु0बगीची, ख0नं0 1049 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 1050 रकबा 0.48 है0, ख0नं0 1050/1119 रकबा 0.06 है0 गैरमुमकिन, ख0नं0 1051 रकबा 0.92 है0 की खातेदारी मंदिर श्री भागीरथ जी के नाम दर्ज है। मौके पर ख0नं0 1048, 1049 [illegible] पडे हुए हैं। ख0नं0 1048 व 1050 के मध्य मेड पर नीम के पेड लगे हुए हैं। ख0नं0 1050 मौके पर पडत है। ख0नं0 1050/1119 में कुआ व [illegible] में कोटडी बनी हुई जिसमें बिजली कनेक्शन लगा हुआ है। ख0नं0 1051 में लगभग 0.40 है0 भूमि पर नीबू, बेर, करोंजा, आंवला के वृक्ष हैं, शेष भूमि पडत पडी हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

... को छोडकर बाहर की ओर पट्टियां, मिट्टी की डौल पर ... हुई है एवं पट्टियों के ऊपर व चौतरफा तार का जाल लगा हुआ है।

... पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का एवं वादी ... द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का अवलोकन किया। प्रकरण मे तनकी ... विवेचना एवं निर्णय निम्नानुसार है—

तनकी नम्बर 1. आया मिसल हकीयत संवत् 1984 में भूमि ख0न0 127, 129, ... 612 उद्धक माफी भूमि है। दिनांक 20.9.1928 को सेटिलमेन्टर ... द्वारा माफीदार कल्याण वल्द उंकार के नाम दर्ज करने के आदेश ... जिसका इन्द्राज रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। इस ,तनकी को ... करने के लिए वादी ने नकल मिसल हकीयत प्रदर्श 7 प्रस्तुत की ... जिसके अनुसार भूमि ख0न0 127 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 129 ... 2 बिस्वा, ख0न0 130 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 610 रकबा 4 बिस्वा, ख0न0 612 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी माफी श्री भागीरथ वएहतमाम पुजारी किलाण बल्द ऊकार कौम ब्राह्मण साकिन गंगापुर के नाम अंकित है। इस मिसल हकीयत के कॉलम नम्बर 16 मे अंकित नोट इस प्रकार है " मिसल नम्बर 50 – हुकम जनाब आला सेटिलमेन्ट ऑफिसर साहब मोर्बरवा 20 सितम्बर 1928 ... कलाण बल्द ऊकार साकिन गंगापुर माफीदार हस्बुल बद माफीदार के नाम दर्ज किया जावे।" यह दस्तावेज राजकीय दस्तावेज है जिसकी सत्यता पर कोई संदेह नही है। अतः यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित होने के कारण वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2. आया फहरिस्त माफीयात में भी भूमि ख0न0 127, 129, 130, 610, 612, 613 कुल रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा को मंदिर माफी की भूमि में मानकर माफीदार के नाम दर्ज करने के आदेश दिये है। जिसका नोट फेहरिस्त माफीयात के कॉलम नम्बर 10 में अंकित है।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल फेहरिस्त मुआफियात बाबत ... मिर्जापुर नकल हदबस्त 61 प्रदर्श 8 के अनुसार कॉलम ... भागीरथ ब एतमाम पुजारी किलाण बल्द ऊकार कौम ... का अंकन है। इसी के कॉलम संख्या 10 कैफियत मे नोट इस प्रकार अंकित है " मिसल नम्बर 50 तहसील गंगापुर हुकम जनाब बाला स.अ.सा. मिसल 20 सितम्बर 1928 बनाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

... जिला कलेक्टर
... सिटी (स०मा०)

[illegible] प्रस्तुत अभिलेख से यह तनकी प्रमाणित है। अतः वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3. आया रेवेन्यु कर्मचारियों की गलती से संवत् 2003 में उक्त भूमि का इन्द्राज माफी मंदिर भागीरथ के नाम दर्ज कर दिया जबकि ग्राम मिर्जापुर व कस्बा गंगापुर सिटी में मंदिर भागीरथ के नाम से कोई मंदिर नही है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल खतौनी बन्दोबस्त मौजा मिर्जापुर तह0 गंगापुर संवत 2003 लगायत [illegible] प्रदर्श 3 के अनुसार भूमि ख0न0 127 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 [illegible] रकबा 3 बिस्वा, ख0न0 809 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, ख0न0 810 रकबा 1 बिस्वा, ख0न0 812 रकबा 4 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 11 बीघा माफी मंदिर श्री भागीरथजी बएतमाम पुजारी छाजूलाल बल्द मंहगी कौम ब्राह्मण साकिन गंगापुर के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल मिसल हकीयत प्रदर्श 7 एवं नकल फैहरिस्त मुआफियान प्रदर्श 8 मे अंकित नोट के अनुसार वादग्रस्त भूमि किलाण बल्द ऊकार ब्राह्मण के नाम दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु भूप्रबन्ध कर्मचारियो ने यह भूमि गलत रूप से मंदिर श्री भागीरथजी के नाम दर्ज कर दी है। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2012 – 2015 प्रदर्श 18 मे यह भूमि माफी मंदिर श्री भागीरथजी बएतमाम पुजारी किलाण बल्द ऊकार कौम ब्राह्मण साकिन देह गंगापुर के नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख से यह स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारियो ने मिसल हकीयत प्रदर्श 7 एवं फैहरिस्त मुआफियात प्रदर्श 8 मे अंकित नोट के अनुसार वादग्रस्त भूमि माफीदार किलाण बल्द ऊकार के नाम दर्ज नही कर गलत प्रविष्ठिया की है। अतः यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित होने के कारण वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 4. आया वादी के पूर्वज भागवत कथावाचक होने के कारण उक्त भूमि उन्हें इनाम स्वरूप दी गई उद्धक भूमि है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। इस तनकी को प्रमाणित करने के लिए वादी ने तत्कालीन जयपुर स्टेट के दीवान श्री चन्द्र दीवान जी द्वारा भादो बुदी चौथ संवत 1811 को वादी के पूर्वज मुरलीधर हरगोविन्द जाति ब्राह्मण [illegible] के पक्ष मे जारी ग्राम मिर्जापुर की 25 बीघा भूमि का असल पट्टा प्रस्तुत किया है। इस पट्टे के अवलोकन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

इसी प्रकार वादी ने ग्राम

रियासत के दीवान श्री चन्द्रदीवान द्वारा वादी के पूर्वज मुरलीधर हरगोविन्द के नाम मिती सावण वदी ग्यारस सवंत 1872 को जारी पट्टा प्रदर्श 10 प्रस्तुत किया है तथा मिती आसोज सुदी चौदस 1812 को जारी ग्राम [illegible]कलाँ की 25 बीघा का भूमि का पट्टा प्रदर्श 11 प्रस्तुत किया है। इन पट्टो के अवलोकन से यह विदित है कि यह भूमि वादी के पूर्वज मुरलीधर हरगोविन्द को उदक के रूप मे प्रदान की गई है ना कि मंदिर के नाम से प्रदान की गई है। अतः यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित होने के कारण वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नम्बर 5.</u> आया संवत 2003 में उक्त भूमि के ख0न0 127, 808, 809, 810, 812 कायम किये है तथा एकीकरण में उक्त भूमि के नम्बर 432, 433, 434 कायम किये है तथा वर्तमान में नये नम्बर 1048 रकबा 0.03 हेक्टर, 1049 रकबा 0.39 हेक्टर, 1050 रकबा 0.48 हेक्टर, 1051 रकबा 0.92 हेक्टर, 1050/1119 रकबा 0.06 हेक्टर कायम किये है।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल फर्द मिलान ग्राम मिर्जापुर प्रदर्श 4 के अनुसार भूमि ख0न0 127, 129, 130, 610, 612 के ख0न0 127, 808, 809, 810, 812 बने है। नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण प्रदर्श 17 के अनुसार भूमि ख0न0 127, 808, 809, 810, 812 के नवीन ख0न0 432 रकबा 3 बिस्वा, ख0न 433 रकबा 1 बिस्वा, ख0न0 434 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा बने है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 के अनुसार उपरोक्त भूमि के नवीन ख0न0 1048 रकबा 0.03 हेक्टर, 1049 रकबा 0.39 हेक्टर, 1050 रकबा 0.48 हेक्टर, 1051 रकबा 0.92 हेक्टर, 1050/1119 रकबा 0.06 कायम किये गये है। अतः यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित होने के कारण वादी के पक्ष मे प्रमाणित की जाती है।

<u>तनकी नम्बर 6.</u> आया वादी उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत असल पट्टा प्रदर्श 9 के अनुसार ग्राम मिर्जापुर की वादग्रस्त भूमि वादी के पूर्वज मुरलीधर हरगोविन्द को उदक के रूप मे जयपुर स्टेट के तत्कालीन दीवान द्वारा दिया जाना प्रमाणित है। नकल मिसल हकीयत संवत 1984 प्रदर्श 7 के कॉलम नम्बर 16 मे अंकित नोट के अनुसार वादग्रस्त भूमि माफी श्री भागीरथ के बजाय माफीदार के नाम दर्ज किये जाने का आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

की नोट फेहरिस्त मुआफियात प्रदर्श 8 के कालम नम्बर 10 मे भी अंकित है। इसके अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी के पिता कल्याण पुत्र ऊकार के नाम खातेदारी मे दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु संवत 2003 लगायत 2022 की खतौनी बन्दोबस्त मे यह भूमि माफी मंदिर श्री भागीरथ जी के नाम ही दर्ज की गई है। जबकि वादी की ओर से प्रस्तुत असल पट्टा प्रदर्श 9 के अनुसार भूमि वादी के पूर्वज मुरलीधर हरगोविन्द को उदक के रूप मे प्रदान की गई है। जिसका माफी मंदिर से कोई सम्बन्ध नही है। संवत 2019 मे हुए भूमि एकीकरण के दौरान भूमि के ख0न0 432, 433, 434 कायम हुए है एवं इन नम्बरो को भी पूर्व की तरह गलत रूप से माफी मंदिर श्री भागीरथ जी के नाम दर्ज किया गया है। नकल जमाबंदी संवत 2024–27 प्रदर्श 21 के अनुसार यह भूमि कल्याण पुत्र ऊकार कौम ब्राह्मण साकिन देह गंगापुर के नाम खातेदारी मे दर्ज की गई है। नकल जमाबंदी संवत 2028–31 प्रदर्श 22 के अनुसार यह भूमि वादी के नाम खातेदारी मे दर्ज की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत रसीद लगान संवत 1972 प्रदर्श 24 के अनुसार राधावल्लभ द्वारा लगान राशि जमा करायी गयी है। असल गिरदावरी स्लिप प्रदर्श 25 एवं प्रदर्श 26 के अनुसार भूमि ख0न0 434 वादी के खुदकाश्त मे दिखायी गई है। लगान रसीद प्रदर्श 27 के अनुसार वादी के पिता कल्याण द्वारा लगान दिया जाना प्रमाणित है। लगान रसीद प्रदर्श 28 लगायत 30 के अनुसार वादी द्वारा भूमि का लगान दिया जाना प्रमाणित है। वादग्रस्त भूमि मे वादी ने विद्युत कनेक्शन लेने का उल्लेख किया है। विघुत कनेक्शन का बिल प्रदर्श 31, 32 वादी ने प्रस्तुत किये है। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल पर्चा खतौनी हाल बन्दोबस्त के अनुसार भूमि ख0न0 1048, 1049, 1050, 1051, 1050/1119 का लगान पर्चा वादी के नाम जारी किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्षी सतीश चंद जैन व जगदीश प्रसाद शर्मा के बयान के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी के पूर्वजो को जयपुर राज्य के दीवान द्वारा उदक के रूप मे दिये जाने का एवं भूमि पर वादी का कब्जा होने का उल्लेख अपने बयानो मे किया गया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी के पूर्वजो को जयपुर रियासत के दीवान द्वारा उदक के रूप मे पुण्यार्थ प्रदान की गई है। नकल मिसल हकीयत संवत 1984 प्रदर्श 7 मे अंकित नोट के अनुसार भूमि वादी के पिता किलाण पुत्र ऊकार के नाम दर्ज किये जाने के आदेश का अंकन है परन्तु इसकी पालना मे तत्समय भूमि वादी के पिता की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं ...
जिला कलेक्टर
... (स०मा०)

तत्पश्चात नकल जमाबंदी संवत 2024–27 के अनुसार यह भूमि वादी के पिता कल्याण पुत्र ऊकार की खातेदारी मे दर्ज हुई है। इसके पश्चात नकल जमाबंदी संवत 2028–31 मे यह भूमि वादी के नाम दर्ज हुई है। भूप्रबन्ध संवत 2039 मे यह भूमि पुनः मंदिर श्री भागीरथ के नाम दर्ज कर दी गई जो गलत है। भूप्रबन्ध विभाग को पूर्व अभिलेख की प्रविष्ठियो को दोहराने का ही अधिकार है। किसी की खातेदारी बदलने का अधिकार नही है। जब भूमि गत रिकार्ड मे वादी की खातेदारी मे दर्ज की जा चुकी थी तो भूमि को पुनः मंदिर के नाम दर्ज किया जाना विधी अनुसार नही है। इसके अतिरिक्त लैण्ड रिफार्मस एवं रिजम्पशन आफ जागीर एक्ट 1952 के शिड्यूल फर्स्ट मे क्रम संख्या 32 पर उदक भूमि दर्ज है प्रस्तुत प्रकरण मे वाद ग्रस्त भूमि प्रारम्भ से ही उदक रही है जो वादी के बुजुर्ग के पक्ष मे जयपुर रियासत के तत्कालीन दीवान द्वारा जारी पट्टा प्रदर्श 9 से स्पष्ट है। इसके पश्चात मिसल हकीयत 1984 में अंकित नोट के अनुसार भी वादग्रस्त भूमि वादी के पिता कल्याण पुत्र ऊकार के नाम माफीदार के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ परन्तु उस आदेश की पालना नही हुई तथा भूमि मंदिर के नाम ही दर्ज की जाती रही। संवत 2024–27 में यह भूमि वादी के पिता के नाम दर्ज हो गयी है। इसके पश्चात भूमि वादी के नाम दर्ज हो गयी परन्तु भूप्रबन्ध द्वारा संवत 2039 मे यह भूमि पुनः मंदिर के नाम दर्ज कर दी गई जो विधि अनुसाए नही है। प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित होने के कारण वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 7. आया उद्धक भूमि के सम्बन्ध में वादी ने कोई साक्ष्य पेश नही की है।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी लैण्ड होल्डर पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत असल पट्टा प्रदर्श 9 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी के पूर्वजो को तत्कालीन जयपुर रियासत के दीवान श्री चन्द्रदीवान द्वारा पुण्यार्थ उदक भूमि के रूप मे प्रदान की गई है। इस दस्तोवज को प्रतिवादी ने ना तो चेलेन्ज किया है और ना ही इसके विरूद्ध अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रदर्श 9 दस्तावेज के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत भूमि उदक भूमि है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

उनकी ओर से किये गये विवेचन एवं निर्णय से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि ख0न0 1048 रकबा 0.03 हेक्टर, 1049 रकबा 0.39 हेक्टर, 1050 रकबा 0.48 हेक्टर, 1051 रकबा 0.92 हेक्टर, 1050/1119 रकबा 0.06 ग्राम मिर्जापुर वादी के पूर्वज मुरलीधर हरगोविन्द को तत्कालीन जयपुर रियासत के दीवान श्री चन्द्रदीवान द्वारा मिती भादो सुदी चौथ संवत 1811 को पुण्यार्थ उदक भूमि के रूप मे दी गई भूमि के ही नवीन नम्बर है। यह तथ्य तनकी अनुसार किये गये विवेचन एवं निर्णय में स्पष्ट हो चुका है तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 11.1.2021 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यो के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा है। वादग्रस्त भूमि शुरू से ही उदक भूमि रही है। जो वादी द्वारा प्रस्तुत मूल पट्टा प्रदर्श 9 से स्पष्ट है। जागीर पुर्नग्रहण एक्ट 1952 के शिड्यूल प्रथम मे क्रम संख्या 32 उदक भूमि दर्ज की गई है। वादग्रस्त भूमि वादी के पूर्वजो की उदक माफी की रही है। उदक माफी मे खातेदारी अधिकार उदकग्रहिता को प्राप्त होते है क्योकि भूमि व्यक्तिरूप वादी के पूर्वजो को दी गई थी। इसलिए वादग्रस्त भूमि वादी की व्यक्तिगत खातेदारी की भूमि है। इस भूमि को मंदिर के नाम शुरू से ही गलत दर्ज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार पट्टेदार के रूप मे भूमि के अधिकारी की भूमि मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना गलत माना गया है। यही मत वादी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त आर.आर.डी. 2015 पेज 91, आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 809, आर.आर.डी. 2015 पेज 370 मे प्रतिपादित किया गया है। अतः तनकी अनुसार किये गये विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि ख0न0 1048 रकबा 0.03 हेक्टर, 1049 रकबा 0.39 हेक्टर, 1050 रकबा 0.48 हेक्टर, 1051 रकबा 0.92 हेक्टर, 1050/1119 रकबा 0.06 है0 की खातेदारी अपने नाम घोषित कराने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0न0 1048 रकबा 0.03 हेक्टर गैर मुमकिन बगीची, 1049 रकबा 0.39 हेक्टर, 1050 रकबा 0.48 हेक्टर, 1051 रकबा 0.92 हेक्टर, 1050/1119 रकबा 0.06 है0 गैर मुमकिन कुआ ग्राम मिर्जापुर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि मंदिर श्री भागीरथजी के नाम से हजफ की जाकर वादी की खातेदारी मे अंकित की जावे। इसी अनुसार राजस्व में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

बाबूलाल बनाम सरकार जरिए लैण्ड होल्डर, दावा

(19)

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.3.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

[illegible] उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

[illegible] अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0

उनवान

[illegible] पुत्र कल्याण प्रसाद,भागवती ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

[illegible] जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —प्रतिवादी

दावा घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –37/2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री [illegible] इस्लाम एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं भूमि खसरा 1048 रकबा 0.03 हेक्टर गैर मुमकिन बगीची, 1049 रकबा 0.39 हेक्टर, 1050 रकबा 0.48 हेक्टर, 1051 रकबा 0.92 हेक्टर, 1050/1119 रकबा 2.06 है0 गैर मुमकिन कुआ ग्राम मिर्जापुर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि मंदिर श्री भागीरथजी के नाम से [illegible] की जाकर वादी की खातेदारी मे अंकित की जावे। इसी अनुसार [illegible] में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 3.3.2021 को जारी किया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्चा		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested